

## मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 27/07/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

**श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 27/07/2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मुरादाबाद एसईजेड (MSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

- A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:
1. श्री किरण एम. मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित) और एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी भी।
  2. श्री सुमित कुमार, उपायुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
  3. श्री चमन लाल, ADG (FT) कार्यालय अपर डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
  4. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST) मुरादाबाद।
  5. श्री अभिषेक वर्मा, एसओ (ASO), डीआईसी (DIC), मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
  6. श्री पंकज खत्री, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
  7. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA), मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) (CEO प्रतिनिधि, यूपीएसआईडीए (UPSIDA), उत्तर प्रदेश सरकार सरकार)।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त (प्रभारी), MSEZ (ii) लाल बाबू प्रसाद, अधीक्षक (प्रभारी), MSEZ और (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुमोदन समिति की सहायता के लिए अनुभाग, एनएसईजेड (NSEZ) भी उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

**01. 07/02/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

बताया गया कि दिनांक 07/02/2022 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 07/02/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**02. मामले के पूर्ण तथ्यों के साथ नई इकाई के आवेदन की समीक्षा के लिए M/s ईस्ट एल्म का प्रस्ताव।**

कि।

- I. श्री शैलेन्द्र पाल सिंह, इकाई के भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए क्योंकि वे वस्तुतः वीबेक्स (Webex) के माध्यम से बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह अभी भी मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) में इकाई स्थापित करना चाहते हैं।
  - II. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समय विस्तार शुल्क के भुगतान पर यूपीएसआईडीए (UPSIDA) के बीच मुद्दे के समाधान के अधीन एमएसईजेड (MSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदक के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। समिति ने आगे निर्णय लिया कि यूपीएसआईडीए (UPSIDA) से समय विस्तार पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) का कार्यालय भी आवेदक को पत्र लिखकर उक्त विस्तार की मांग करने के लिए कहेंगे और समय विस्तार के मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए यूपीएसआईडीए (UPSIDA) के प्रधान कार्यालय को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।
03. M/s सी एल (CL) गुप्ता ओवरसीज एलएलपी (LLP) का प्रस्ताव:-
- I. प्लॉट नंबर सी-04 (अनुमोदन) के अतिरिक्त क्षेत्र का विस्तार।
  - II. दिनांक 17.11.2016 को एलओए (LOA) में आईटीसी (HS) कोड जोड़ना।
- III. आयातित पूंजीगत सामान में वृद्धि और एनएफई (NFE) अनुमानों में संशोधन।
1. इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री कला मुकुंदन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को स्पष्ट किया।
  2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित पर निर्णय लिया:
    - a. कार्य के अतिरिक्त स्थान अर्थात प्लॉट नंबर सी-04, पॉकेट-ए और उत्पादन क्षमता में वृद्धि को शामिल करने के संबंध में दिनांक 05.04.2022 की अनुमति की पुष्टि की।
    - b. पूंजीगत वस्तुओं की स्वीकृत वृद्धि (सौर पैनल और सौर अंतर्वर्तक जैसे आयातित पूंजीगत सामान सहित, डीओसी (DOC) ओएम (OM) दिनांक 07.06.2021 के प्रावधानों के अधीन अर्थात उक्त ओएम के तहत आने वाली संबंधित वस्तुओं पर कोई कर / शुल्क लाभ नहीं)।
    - c. दिनांक 17.11.2016 को एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन के प्रस्तावित आईटीसी (HS) कोड को शामिल करने को मंजूरी दी गई

यह अनुमोदन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2022 द्वारा देखी गई और सूचित की गई कमियों की संतोषजनक प्रतिक्रिया के अधीन है। इसके अलावा, इकाई को सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन लेना होगा, जहां भी आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पाद या तो आयात किए जाते हैं या डीटीए (DTA) से खरीदे जाते हैं।

04. एलओए (LOA) के विस्तार और प्लॉट संख्या एच-21 के अतिरिक्त क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ एनएफई (NFE) अनुमानों में वृद्धि के लिए M/s ट्यूलिप डी आईनॉक्स का प्रस्ताव।

1. श्री हेमंत राणा, इकाई के मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

कि।

2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित मंजूरी दी,  
(i) एलओए (LOA) को 6.6.2023 तक का विस्तार, (ii) प्लॉट नंबर H-21 जोड़ने के साथ क्षेत्र का विस्तार और (iii) एनएफई (NFE) अनुमानों में वृद्धि। यह अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी/यूपीएसआईडीए (UPSIDA) द्वारा आवंटित भूखंडों के समामेलन के अधीन है।
05. **M/s ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस का प्रस्ताव:-**
  - I. **मॉरीशस से 350.00 मिलियन टन चंदन (44039922) का आयात**
  - II. **150.00 किलोग्राम चंदन तेल के निर्यात की एकमुश्त अनुमति**
  - III. **एलओए (LOA) का नवीनीकरण और अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।**
    1. इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री मोहन माहेश्वरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को स्पष्ट किया।
    2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन के अनुसार 31.12.2022 तक इकाई के एलओए (LOA) के विस्तार को मंजूरी दी। यह अनुमोदन "चंदन और अन्य प्रजातियों के हस्तशिल्प का निर्माण और निर्यात (44219990), सभी प्रकार के अगरबत्ती (33019031), अगरबत्ती और गंधयुक्त पाउडर (33074100), चंदन फिंगर चिप्स (12119050) और चंदन का तेल (33012937)" के लिए है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
      - a. इकाई उन उत्पादों (इनपुट सहित) के लिए डीजीएफटी (DGFT) के कार्यालय से आयात या निर्यात लाइसेंस प्राप्त करेगी जो क्रमशः आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं। निर्यात या आयात के लिए निषिद्ध माल के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा।
      - b. आयात के लिए प्रतिबंधित माल के लिए उप अनुबंध या जॉबवर्क का काम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
      - c. विकासक अर्थात् यूपीएसआईडीए (UPSIDA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
    3. अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि अनुमत आयात मात्रा और इकाई द्वारा किए गए वास्तविक आयात में अंतर के संबंध में इकाई को एक अलग पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा यह निर्देश दिया कि मामले को डीजीएफटी (DGFT) के साथ उठाया जाएगा और उन्हें वाणिज्य विभाग (DOC) को पृष्ठांकित एक प्रति के साथ आयात/निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता और यूएसी (UAC) द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा।
06. **एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम (SEZ) 19 के अनुसार एनएफई (NFE)/प्रदर्शन की निगरानी और एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए M/s शैला एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव।**
  - 1) इकाई के मालिक श्री नितिन आइमा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। श्री आइमा ने बताया कि महामारी के कारण उनका मुख्य खरीदार व्यवसाय से बाहर हो गया था, जिसके कारण उन्हें पिछले ऑर्डरों के लिए भुगतान नहीं मिला था और इसलिए पिछले दो वर्षों में काम नहीं कर सके। अब जब से वैश्विक प्रतिबंधों में ढील दी गई है, उन्हें कुछ नए ऑर्डर मिले हैं। एक बार जब वह नए ऑर्डर भेजना शुरू कर देंगे, तो उनका पिछला लंबित प्रेषण एक साथ जारी कर दिया जाएगा।
  - 2) अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पिछले 5 वर्षों के ब्लॉक के दौरान 31.03.2021 को सकारात्मक एनएफई (NFE) के संदर्भ में इकाई के प्रदर्शन को नोट किया। उन्होंने इकाई को लंबित विदेशी मुद्रा की जल्द से जल्द वसूली के लिए उचित उपाय करने का

12/11

निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने एलओए (LOA) की समाप्ति से दो वर्ष अर्थात् 24.01.2024 तक के विस्तार को मंजूरी दी। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. इकाई विकासक के नाम यूपीएसआईडीसी (UPSIDA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र ('एनओसी') प्रस्तुत करेगी।
- ii. इकाई यूएसी (UAC) के दौरान मालिक द्वारा सूचित किए गए हाल के खरीद ओर्डरो की प्रति प्रस्तुत करेगी।
- iii. इकाई उन उत्पादों के लिए, जो पहले से ही ईपीसीएच (EPCH) द्वारा प्रकाशित हस्तशिल्प की सूची में नहीं हैं, 'हस्तशिल्प का प्रमाण पत्र' मांगने के लिए ईपीसीएच (EPCH) पर आवेदन करेगी और इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजेगी।
- iv. HS2022 नामकरण के अनुसार आईटीसी (HS) कोड के अद्यतन के लिए आवेदन।

इकाई से उपरोक्त दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त के अनुमोदन से एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए फाइल पर इसकी जांच की जाएगी।

**07. M/s नोदी एक्सपोर्ट्स इनकॉर्पोरेशन का साझेदारी में बदलाव के लिए प्रस्ताव (साझेदारी को जोड़ना और हटाना)।**

- 1) इकाई के साझेदार श्री नीरज खन्ना अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।
- 2) अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया और इकाई के साझेदारी में परिवर्तन को वाणिज्य विभाग (DOC) निर्देश संख्या 109 के तहत नोट किया गया। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है
  - i. सेवानिवृत्त भागीदारों अर्थात् श्रीमती सुमन खन्ना और श्रीमती प्राची खन्ना को हलफनामा प्रस्तुत करना जिसमें उनकी सेवानिवृत्त और इकाई के पुनर्गठन के लिए अनापत्ति; तथा
  - ii. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.07.2022 द्वारा देखी गई और सूचित की गई कमियों के लिए संतोषजनक प्रतिक्रिया; तथा
  - iii. इकाई की यूपीएसआईडीसी (UPSIDA) से कोई लंबित अनुपालन।

**08. नियम 54 के अनुसार निगरानी एवं डीआरआई (DRI) एवं ईडी (ED) के मामले से संबंधित मामले की समीक्षा के लिए M/s जैम जैम एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव।**

- 1) बैठक में इकाई का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ।
- 2) अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि इकाई पर लंबित विदेशी मुद्रा 47.75 करोड़ रुपये (एससीएन [SCN] दिनांक 27.11.2020 के जारी होने के समय) 10.07.2022 को बढ़कर 100.59 करोड़ रुपये हो गई है।
- 3) अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि एफटीडीआर (FTDR) अधिनियम, 1992 के तहत संशोधित एससीएन (SCN) इकाई को जारी किया जाए, जो आज की तारीख में वास्तविक बकाया विदेशी मुद्रा वसूली को दर्शाता है। समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) को इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उचित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया।

**09. निर्धारित समय से अधिक वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के मामलों की निगरानी:**

**i. M/s एक्यूब क्राफ्ट कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर चर्चा की और नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया था। समिति ने इकाई को एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर

किने

(APR[s]) जमा करने और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल होने पर इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इकाई को एचएस 2022 नामकरण में अपने एचएस कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**ii. M/s अभिषेक इंटरनेशनल।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि इकाई को, लंबित विदेशी मुद्रा के लिए, एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसमें विफल होने पर इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**iii. M/s ए एंड एस इंटरनेशनल।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**iv. M/s बंसल इंक.**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) में लंबित एपीआर (SEZ) (S) जमा करना होगा ऑनलाइन प्रणाली और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करें, जिसमें विफल होने पर इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**v. ब्राइट स्टार इम्पेक्स**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की, वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा पर गंभीरता से विचार किया और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**vi. M/s क्राफ्ट एक्विजम।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की, लंबित विदेशी मुद्रा पर गंभीरता से विचार किया और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**vii. M/s सी.एल (C.L) गुप्ता ओवरसीज एलएलपी (LLP)**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन और 31.03.2021 को इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) की उपलब्धि की निगरानी की।

कि हो

**viii. M/s कनेक्ट इंडिया इंक।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। जल्द से जल्द विफल होने पर, इकाई के खिलाफ, जैसा उचित होगा, कार्रवाई की जाएगी। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**ix. M/s डिजाइनर इंटरनेशनल।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि इस संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जिसकी विफलता पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।

**x. M/s दीवान इंडिया।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा की इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। इकाई को एचएस (HS) 2022 नामकरण में अपने एचएस (HS) कोड अद्यतन करने के लिए भी कहा जाएगा।
2. समिति ने यह भी निर्देश दिया कि एसईजेड (SEZ) परिसर से तैयार माल को गुप्त रूप से हटाने के संबंध में इकाई के खिलाफ सीमा शुल्क मामले की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और एनएसईजेड (NSEZ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए फाइल पर रखा जा सकता है।

**xi. M/s जेमिनी इंटरप्राइजेज।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जो कार्रवाई में विफल रही है, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

**xii. M/s गिल्ड आर्ट यूनिट- III।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की।
2. समिति ने आगे कहा कि एनएसडीएल (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार कच्चे माल (विदेशी और डीटीए [DTA] से) की खरीद का मूल्य उसी अवधि के दौरान निर्यात की तुलना में नगण्य है। श्री लाल बाबू प्रसाद,

रिना

अधीक्षक (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) द्वारा यह सूचित किया गया कि एसईजेड (SEZ) इकाइयां एनएसडीएल (NSDL) के लेनदेन शुल्क के कारण एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर लेनदेन दाखिल करने में अनिच्छुक हैं।

3. समिति ने निर्देश दिया कि एनएसडीएल (NSDL) के माध्यम से डेटा की शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है और सभी एसईजेड (SEZ) इकाइयों को एसईजेड (SEZ) नियम 2006 के नियम 78 का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं और आयात/निर्यात/डीटीए (DTA) खरीद डीटीए (DTA) बिक्री के सभी सामानों का बिना किसी असफलता के एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर सभी लेनदेन दर्ज किए जा सकते हैं। समिति ने आगे निर्देश दिया कि सीमा शुल्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी माल (पूँजीगत सामान या कच्चा माल) एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर लेनदेन की उचित फाइलिंग / प्रसंस्करण के बिना एसईजेड (SEZ) में प्रवेश या बाहर नहीं जाएगा।

**Xiii. M/s ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हाउस।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।

**xiv. M/s जेएमडी इंटरनेशनल।**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जो कार्रवाई में विफल रही है, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 2 श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA) ने बताया कि प्लॉट संख्या जी-13 एवं जी-14, पॉकेट-'ए', मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) के संबंध में इकाई के विरुद्ध लगभग 8 लाख रुपये की राशि लंबित है।
- 3 समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई के खिलाफ डीआरआई (DRI) मामले की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और एनएसईजेड (NSEZ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए फाइल पर रखा जा सकता है। यह भी निर्देश दिया गया था कि एफटीडीआर (FTDR) अधिनियम, 1992 के तहत इकाई के खिलाफ एससीएन (SCN) जारी किया जाए ताकि इकाई को सुनवाई का मौका देने के बाद एलओए (LOA) को निलंबित किया जा सके।

**xv. M/s के. के इंटरनेशनल।**

1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जो कार्रवाई में विफल रही है, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बी.टी.

2. समिति ने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि इकाई के लिए एलओए (LOA) पहले ही समाप्त हो चुका है और नवीनीकरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, इकाई से उनकी भविष्य की व्यावसायिक योजना के लिए कहा जा सकता है। यदि वे व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं, तो विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

**xvi. M/s माधव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जो कार्रवाई में विफल रही, जैसा उचित समझे, इकाई के विरुद्ध लिया जाएगा।

**xvii. M/s नीरज हेंडीक्राफ्ट और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज।**

1. इकाई के पार्टनर श्री धीरज राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया लेकिन उनकी ओर से कुछ तकनीकी समस्या के कारण वे बैठक में नहीं जुड़ पाए।
2. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA) ने बताया कि मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) के प्लॉट नंबर जी-85, पॉकेट-'ए' के खिलाफ इकाई पर लगभग 14.00 लाख रुपये की राशि लंबित है।
3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जो कार्रवाई में विफल रही, जैसा उचित समझा जाए, इकाई के विरुद्ध लिया जाएगा।
4. समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद एलओए (LOA) रद्द करने के लिए एफटीडीआर (FTDR) अधिनियम, 1992 के तहत इकाई को एससीएन (SCN) जारी किया जाए।

**xviii. M/s नोडी एक्सपोर्ट्स इंक।**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।

**xix. M/s पार्थ एक्सपोर्ट्स।**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।

**xx. M/s पूजा ओवरसीज।**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी

कि गो



किया जाए। समिति ने निर्देश दिया कि वास्तविक खरीद आँकड़े इकाई से मांगा जा सकता है और एनएसडीएल (NSDL) आँकड़े की शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है।

**xxi. M/s राजकमल इंटरनेशनल।**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।

**xxii. M/s ऋषि इंटरनेशनल**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे नोट किया कि इकाई ने पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एपीआर (APR[s]) जमा नहीं किया और निर्देश दिया कि इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम में लंबित एपीआर (APR[s]) जमा करना होगा और जल्द से जल्द एक सीए (CA) प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, जिसकी विफलता पर, जैसा उचित समझा जाए, इकाई के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा।

**xxiii. M/s शैला एक्सपोर्ट्स**

- 1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।

**xxiv. M/s सैनिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड**

- 1 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री विनय मंगला बैठक में उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मंगले ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र में धातुकर्म विद्यालय/कौशल संवर्धन केंद्र की आवश्यकता है ताकि अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे व्यापार को बहुत लाभ होगा।
- 2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्देश दिया कि वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के संबंध में इकाई को एक पत्र जारी किया जाए।


**10. M/s आरएमडी (RMD) इंटरनेशनल - (ए) एलओए (LOA) जारी करने और (बी) आईटीसी (ITC) (HS) कोड के संशोधन के लिए प्रस्ताव।**


- 1 श्री मोहित दुबे, इकाई के भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

किया

- 2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श / समीक्षा के बाद, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें पीतल आर्टवेयर के हस्तशिल्प के निर्माण और निर्यात के लिए, एल्युमिनियम आर्टवेयर, लोहा और इस्पात आर्टवेयर और तांबा आर्टवेयर (इकाई द्वारा प्रस्तुत आईटीसी (ITC) (HS) कोड की सूची में क्रमांक 1 से क्रमांक 4 तक उल्लिखित) शामिल है। अनुमोदन समिति ने आगे सिफारिश किया कि निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) निगरानी के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) प्रणाली लागू करेंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
(किरण एम. मोहादिकर)  
उप विकास आयुक्त

  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त